राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 29 जून, 1995

क्रमांक 1393-ज-2-95/9504—श्री ज्योनाथ पुत्र श्री ज्योलाल, निवासी गांव आकोदा, तहसील महेन्द्रगढ़, जिला महेन्द्रगढ़ को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 9219-ज-III-66/15702, दिनांक 30 जून, 1966 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505 दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री ज्योनाथ, की दिनांक 9 फरवरी, 1995 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर का श्री ज्योनाथ की विधवा श्रीमती गिन्दोड़ी देवी के नाम खरीफ, 1995 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

दिनांक 10 जुलाई, 1995

क्रमांक 1355-ज-2-95/10025.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, श्री भाज राज, पुत्र श्री उदय राम, गांव भोतवास मोन्दू, तहसील कोसली व जिला रिवाड़ी को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक, रबी, 1980 से खरीफ, 1992 तक 300 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

दिनांक 27 जून, 1995

क्रमांक 1561-ज-2-95/9390—श्री बलवन्त राय, पुत्र श्री बोध राज, निवासी गांव बहादुरगढ़, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1862-ज-2-80/40203, दिनांक 13 नवम्बर, 1980 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री बलवन्त राय की दिनांक 26 जनवरी, 1994 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री बलवन्त राय की विधवा श्रीमती कमला रानी के नाम खरीफ, 1994 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते है।

दिनांक 29 जून, 1995

क्रमांक 1557-ज-2-95/9499.—श्री सरजीत सिंह, पुत्र श्री मल सिंह, निवासी गांव राजगढ़, तहसील जावल, जिला रेवाड़ी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6281-र-III-70/3575, दिनांक 5 फरवरी, 1971 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री सरजीत सिंह की दिनांक 8 अगस्त, 1994 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया

गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त जागीर को श्री [illegible] सिंह की विधवा श्रीमती [illegible] देवी के नाम रबी, 1995 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

क्रमांक 1528-ज-2-95/9508.—श्री जगरूप सिंह, पुत्र श्री [illegible] सिंह, निवासी गांव [illegible], तहसील [illegible], जिला रोहतक (अब भिवानी) को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2858-आर-III-68/4514, दिनांक 28 [illegible], 1968 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 3041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44010, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 200 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री जगरूप सिंह की दिनांक 19 [illegible], 1992 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री जगरूप सिंह की विधवा श्रीमती [illegible] के नाम रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

जी० सी० सैनी,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

B. & R. BRANCH

BHIWANI CIRCLE

The 29th May, 1995

No. Z-42-A/582.—Whereas it appears to the Governor of Haryana that land likely to be required to be taken by Government at the public expense, for a public purpose, namely, for constg. Bawana to Sehlong Road in Tehsil and District Mohindergarh, it is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

This notification is made under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of the powers confirmed by the aforesaid section, the Governor of Haryana is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking, with their servants, workmen to enter upon and survey land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may within 30 days of the publication of this notification, file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, Haryana, P.W.D., B. & R. Branch, Gurgaon District, Revenue Officer-cum-Land Acquisition Officer, Narnaul.

SPECIFICATION

S. No.	District	Tehsil	Village	Area in Acres	Remarks
1	M/Garh	M/Garh	Bawana	0.26	M. No. 34 K. No. 4, 19 M. No. 54 K. No. [illegible] 1, 2, 2

S. No.	District	Tehsil	Village	Area in Acres	Remarks
2	M/Garh	M/Garh	Basai	1.18	M. No. 213 K. No. 9 M. No. 214 K. No. 25 M. No. 241 K. No. 4, 5/1, 5/2, 6,7/1, 7/2, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 8/1, 8/2 M. No. 247 K. No. 7/2
3	M/Garh	M/Garh	Sehlong	3.57	M. No. 44 K. No. 12 M. No. 62 K. No. 9/2, 10 M. No. 69 K. No. 5/1, 5/2, 6, 14, 15, 16, 17, 24, 25 M. No. 89 K. No. 4, 7/1, 7/2, 14 M. No. 97 K. No. 11 K. No. 96 K. No. 25/1, 25/2 M. No. 116 K. No. 6, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 23, 24 M. No. 117 K. No. 1 M. No. 125 K. No. 3/2, 13 Khasra No. 148, 963.
			Total :	5.01	

(Sd.) . . .,

Superintending Engineer,
Bhiwani Circle, P.W.D., B. & R.,
Bhiwani.

लोक निर्माण विभाग

भवन एवं सड़क शाखा

नारनौल

वृत भिवानी

दिनांक 29 मई, 1995

No. Z-42-A/582.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्चे पर, प्रयोजना नामतः स्कीम बवाना से सेहलंग रोड, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ के लिए ली जानी अपेक्षित है । इसलिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे निर्दिष्ट इलाके में भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए सम्भवतः अपेक्षित है ।

यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्ध के अधीन इस सब के लिए जारी की गई है, जिनसे यह सम्बन्धित हो ।

उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, उन अधिकारियो को, जो फिलहाल अपने कर्मचारियों तथा कारिन्दों के साथ काम में लगे हुए हैं इलाके में किसी भी भूमि में तथा सर्वेक्षण करने और अन्य सभी कार्यों को करने के लिए अधिकृत करते हैं। जो उस धारा द्वारा अपेक्षित अनुमत्य है।

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाकें में किसी भूमि के अभिग्रहण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, इस अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर-अन्दर जिला भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, गुड़गांव व जिला राजस्व अधिकारी नारनौल के सम्मुख लिखित रूप में दायर कर सकता है।

विशिष्टियां

जिला	तहसील	परिक्षेत्र गांव	हदबस्त सं०	क्षेत्रफल	खसरा संख्या
महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	बवाना	52	0·26	मुस्तिल नं० 34 किला नं० 4, 19 मुस्तिल नं० 54 किला नं० 1/1, 1/2, 2
महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	बसई	47	1·18	मु० नं० 213 किला नं० 9 मु० नं० 214 किला नं० 25

जिला	तहसील	परिक्षेत्र गांव	हदबस्त सं०	क्षेत्रफल	खसरा सं०
महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	बंचई--समाप्त	47--समाप्त		मु० नं० 241 / किला नं० 4, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23 मु० नं० 247 / किला नं० 7/2
महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	सेहलंग	9	3·57	मु० नं० 44 / किला नं० 12, मु० नं० 62 / किला नं० 9/2, 10, मु० नं० 69 / किला नं० 5/1, 5/2, 6, 14, 15, 16, 17, 24, 25, मु० नं० 89 / किला नं० 4, 7/1, 7/2, 14, मु० नं० 97 / किला नं० 11, मु० नं० 96 / किला नं० 25/1, 25/2, मु० नं० 116 / किला नं० 1, 6, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 23, 24, मु० नं० 117 / किला नं० 1

जिला	तहसील	परिक्षेत्र गांव	हदबस्त सं०	क्षेत्रफल	खसरा नं०
महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	मेहलंग समाप्त	9—समाप्त		मु० नं० 125 किला नं० 3/2, 13 खसरा नं० 148, 963
				कुल रकबा	5·01

(हस्ताक्षर) . . .,

अधीक्षक अभियन्ता,

भिवानी सर्कल, लो० नि० वि०,

भवन तथा मार्ग शाखा, भिवानी ।

11919 CS(II)—Govt. Press, U.T., Chd.